रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 मार्च, 2005/30 फाल्गुन, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला, 14 मार्च, 2005

संख्या पीसीएच-एसएमएल (दो बच्चे)/2002-22889-896.—यह कि उप-मण्डलाधिकारी (ना०), डोडरा-क्वार से प्राप्त सूचना अनुसार श्री बद्री प्रसाद, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत डोडरा, विकास खण्ड छौहारा, जिला शिमला ने अपनी चार जीवित सन्तान के होते हुए दिनांक 20-12-2003 को पांचवीं सन्तान पैदा करके हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ण) की उल्लंघना की है। इस सम्बन्ध में उसे इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या पीसीएच-एसएमएल (दो बच्चे)/2002-13190-194, दिनांक 10-12-2004 के अन्तर्गत जारी नोटिस अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह कि उक्त श्री बद्री प्रसाद, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत डोडरा, विकास खण्ड छौहारा ने इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिस के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है परन्तु स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं है।

यह कि उप-मण्डलाधिकारी (ना०) की रिपोर्ट के अनुसार उक्त श्री बद्री प्रसाद, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत डोडरा, विकास खण्ड छौहारा की पांचवीं सन्तान पैदा हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि

3961-राजपत्र/2005-21-3-2005—1,423. (4125) मूल्य : 1 रुपया।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) तथा हि० प्र० पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित खण्ड (ण) की उल्लंघना करते हुये 8-6-2001 के पश्चात अर्थात 20-12-2003 को पांचवीं सन्तान पैदा करके वह ग्राम पंचायत डोडरा के उप-प्रधान पद पर बने रहने के लिए निरर्हित हो गया है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122(1) (ण) की उल्लंघना करने पर श्री बद्री प्रसाद, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत डोडरा के पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131(2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डोडरा के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित कर यह आदेश देता हूं कि उनके पास ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की कोई देनदारी हो तो उसे तुरन्त सम्बन्धित पंचायत सचिव अथवा पंचायत सहायक, को सौंप दें।

एस० के० बी० एस० नेगी,
उपायुक्त शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)।

खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले विभाग, सोलन, जिला सोलन

अधिसूचना

सोलन, 8 जनवरी, 2005

संख्या 3-87/82-सी० एस०-II-356-90.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना सं० 3-87/82-सी० एस०-3739-3778 दिनांक 16-11-2004 को निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3 (1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेश कुमार (भारतीय प्रशासनिक सेवायें), जिला दण्डाधिकारी सोलन, आदेश जारी करता हूं कि उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आगामी दो मास तक पूरे जिला में लागू रहेंगे।

राजेश कुमार,
जिला दण्डाधिकारी, सोलन,
जिला सोलन (हि० प्र०)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 11 मार्च, 2005

संख्या पी० सी० एन०-एस० एम० आर० (धारा 122) 2005-15-21.—यह कि श्री हुकमी राम, वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत रेड़ली, विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का त्याग-पत्र हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ण) के अन्तर्गत अयोग्यता के दृष्टिगत खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड संगड़ाह के माध्यम से दिनांक 22-2-2005 को अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ है।

अतः मैं, एम० एस० नेगी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1977 के नियम 135(3) तथा हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130(2) के अन्तर्गत कथित श्री हुकमी राम, वार्ड सदस्य का त्याग-पत्र स्वीकार करता हूं।

एम० एस० नेगी,
जिला पंचायत अधिकारी,
जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।